एक नजर

ब्वै-ब्वारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री हुए शामिल

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा-ध्याणी, ब्वै ब्वारी सम्मेलन में भाग लिया। पौड़ी गढ़वाल में नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत दिशा ध्याणी ब्वै ब्वारी सम्मेलन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत हुआ और भारी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर लगे स्टालों का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया तथा कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की।

उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना अभिनंदनीय : धामी

स्वतंत्र चेतना

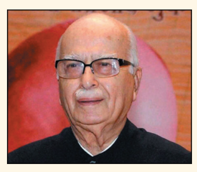

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि हम सभी के मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष होने के साथ ही शुचिता और प्रतिबद्धता के सशक्त प्रतीक है। श्रीराम मंदिर निर्माण आंदोलन में आपकी भूमिका एक मजबूत स्तंभ के रूप में रही जो जब सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से भारत के विकास में उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में अभूत और अविस्मरणीय योगदान दिया है। केंद्र सरकार का आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय अभिनंदनीय है।

अधिवक्ता फैजान नकवी के निधन पर शोक, न्यायिक कार्यो से विरक्त रहे अधिवक्ता

स्वतंत्र चेतना

काशीपुर(उधम सिंह नगर)। बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं ने शोक सभा का आयोजन कर एडवोकेट फैजान नकवी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। फैजान नकवी की माताजी एडवोकेट संतोष नकवी भी काशीपुर में सरकारी वकील रही है, उनके पुत्र फैजान नकवी की मृत्यु के दुख में सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरक्त रहे। शोक सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा, संजीव कुमार आकाश, श्रीमती सिंधु आकाश, कार्यकारिणी सदस्य कामिनी श्रीवास्तव, अर्पित सौदा, नरेश कुमार पाल, अमित गुप्ता, अमृतपाल सिंह, अविनाश कुमार, अमितेश सिसोदिया नरदेव सिंह सैनी, तथा रहमत अली खान, अफसर अली खान, अब्दुल सलीम, सैय्यद आसिफ अली, रामकुवर चौहान, गोपाल कृष्णा, मुजीब अहमद, मो अलीम, मो नईम आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में फिर लौटा बारिश और बर्फबारी का दौर : डा. बिक्रम सिंह

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार जहां पहले बारिश और बर्फबारी हुई वहीं एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ले लिया है। तीन फरवरी के देर शाम से अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। यह क्रम पांच फरवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर के अधिकांश क्षेत्रों में पांच तारीख तक हल्की से बहुत हल्की अथवा मध्यम बारिश होने की संभावना है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में छह फरवरी को यही क्रम जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह का कहना है कि के अनुसार 3 फरवरी से प्रारंभ होने वाली बारिश और बर्फबारी से 25 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। 4 फरवरी से पांच फरवरी को बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, लेकिन ऊंचाई क्रम थोड़ा नीचे हो जाएगा। 22 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी जबकि 6 फरवरी को एक बार फिर 25 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। 4 फरवरी को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी होगी जबकि 6 फरवरी के बाद मौसम साफ हो जाएगा।

नैनीताल में खिली धूप के बीच अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, प्रशासन अलर्ट

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। पर्वतीय पर्यटन नगरी नैनीताल में शनिवार को दोपहर बाद तक खिली धूप के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। ठंडी पश्चिमी हवाओं के साथ अचानक पूरा आसमान बादलों से घिर गया और अपराह्न में बूंदा-बांदी भी होने लगी। हालांकि बाद में मौसम एक बार फिर हवाओं के साथ खुलता नजर आया, लेकिन जिला प्रशासन सजग हो गया है। एडीएम फिंचा राम चौहान ने जनपद के समस्त संबंधित अधिकारियों को मौसम विभाग की चेतावनी का हवाला देते हुए रविवार 4 फरवरी को सतर्क व सजग रहने के निर्देश जारी किये हैं।

राष्ट्रीय परेड में भाग लेना गौरव की बात : राज्यपाल

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि) ने शनिवार को राजभवन में 75वें गणतन्त्र दिवस परेड में प्रतिभाग करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। उत्तराखंड से इस वर्ष की गणतंत्र दिवस में आयोजित परेड और अन्य गतिविधियों में 122 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें 46 लड़कियां भी शामिल रहीं। इस अवसर पर राज्यपाल ने एनसीसी 11 यूके बटालियन (गर्ल्स) मेजर शोभा मेहता को भी सम्मानित किया। उन्होंने झांसी से दिल्ली तक की नारी शक्ति वंदन दौड़ में प्रतिभाग करते हुए 470 किलोमीटर की दूरी तय कर रिकॉर्ड बनाया। राज्यपाल ने इस असाधारण उपलब्धि के लिए मेजर शोभा मेहता की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि गणतंत्र दिवस जैसे विशिष्ट समारोह में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह आपके कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ निश्चय से संभव हो सका है। उन्होंने कहा की उत्तराखंड के एनसीसी कैडेट्स अन्य कैडेट्स की तुलना में अलग हैं आपका प्रशिक्षण और अभ्यास उत्कृष्ट है। राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी में सिखाये जाने वाले एकता और अनुशासन के मूल मंत्र को जीवन के अंतिम पग तक अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में एनसीसी निदेशालय के अधिकारियों ने कैडेट्स के चयन प्रक्रिया से लेकर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम तक की सभी गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया गया।

25 हजार का इनामी कुख्यात शिवेंद्र शिबी गिरफ्तार

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। करण शिवपुरी गैंग के 25 हजार के इनामी कुख्यात आरोपित को एसटीएफ उत्तराखंड ने धर दबोचा है जिसे नरेला, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपित प्रेमनगर देहरादून में ज्वेलरी लूट कांड में वांछित था और पूर्व अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार हो चुका था।

शनिवार को एसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि 2019 में प्रेमनगर में ज्वेलर्स लूटकांड में आरोपी शिवेन्द्र उर्फ शिबी को एसटीएफ ने नरेला दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम था। 7 अक्टूबर 2019 को प्रेमनगर की देवेंद्र कुमार ज्वेलर को दो अज्ञात लोगों ने ज्वेलरी दिखाने को कहा। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए ज्वेलर ने ज्वेलरी दिखाने से मना कर दिया। इस पर आरोपितों ने पिस्टल दिखाकर लाकर खोलने को कहा और उस पर फायर झोंक दिया। इस फायरिंग में देवेंद्र बाल बाल बच गया लेकिन आरोपित लगभग डेढ़ किलो सोना और दो लाख रुपये लूट कर भाग गए थे। घटना में शामिल कुख्यात डकैत करन शिवपुरी व सोनू यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, जिनसे आधा किलो सोना बरामद हुआ था।

इस आरोप में सूर्य प्रकाश सोनी, सतीश कुमार, सुमित यादव के बाद अब शिवेंद्र उर्फ शिबू को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त पेशे से वकील है और दिल्ली कोर्ट में वकालत करता है। वहीं से यह नीरज बवाना गैंग के सम्पर्क में आया और कीमती सामान खरीद फरोख्त के अलावा हथियारों की सप्लाई में जुट गया, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है।

भूमि बेचने के नाम पर 35 लाख की धोखाधड़ी

कोर्ट के निर्देश पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

स्वतंत्र चेतना

काशीपुर(उधम सिंह नगर)। कूट रचित दस्तावेजों के सहारे जमीन के सौदे के नाम पर 35 लाख रूपयों के धोखाधड़ी किए जाने का एक हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना के बारे में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर विश्वनाथ पुरम मानपुर रोड काशीपुर निवासी मनवर सिंह भंडारी पुत्र पदम सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में उसकी मुलाकात प्रतापपुर काशीपुर निवासी राजेश पुत्र हरशरण से हुई। उसने बताया कि उसकी लगभग ढाई एकड़ भूमि ग्राम गढ़ीनेगी में है जिसे वह बेचना चाहता है। इस षड्यंत्र में राजपुरम कॉलोनी निवासी करन सिंह नेगी पुत्र नरेंद्र सिंह नेगी भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों पर भरोसा करके उसने यह सौदा 88 लाख रूपयों में तय कर लिया। 35 लाख रुपए देने के बाद पता चला कि यह भूमि राजेश के नाम नहीं किसी और के नाम है। धोखाधड़ी का पता चलने पर जब शिकायतकर्ता ने उपरोक्त दोनों से रकम वापसी की बात की तो उन्होंने कानूनी कार्यवाही करने की एवज में जान से मारने की धमकी दे डाली। शिकायतकर्ता ने जब मामले की तहरीर पुलिस को देखकर कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई तो पुलिस ने मामले को अनसुना कर दिया। जिले के एसपी को लिखित तहरीर देने के बावजूद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो शिकायतकर्ता नहीं मजबूरन कोर्ट का सहारा लिया। न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त दोनों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी पर हरकत में आई पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।

विभागीय भर्तियों में अधिमान देकर प्राथमिकता दें : करन माहरा

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कोरोना महामारी और

अन्य आपातकाल में अल्प समय के लिए अपनी सेवाएं देने वाले बेरोजगारों को राज्य सरकार की विभागीय भर्तियों में अधिमान देकर प्राथमिकता दिये जाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने उत्तराखंड राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों सहित अन्य विभागों में कोरोना महामारी जैसे आपातकाल में अल्प समय के लिए अपनी सेवाएं दे चुके कर्मचारियों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि वर्ष 2021-22 में कोरोना महामारी के दौरान दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों की सेवायें आपात स्थिति की बहाली के उपरान्त समाप्त कर दी गई। आपात काल के समय अपनी और अपने परिजनों की जान जोखिम में डालकर लगातार सेवाएं देने वाले वे कर्मचारी एकबार पुनः बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) संशोधित नियमावली-2021 में जारी भर्ती की शर्तों के कारण कोरोना महामारी के दौरान नर्सिंग स्टाफ के पद पर अपनी सेवायें दे चुके इन नवयुवक/नवयुवतियों के हित पूरी तरह प्रभावित हुए तथा उन्हें नियमित भर्ती से वंचित होना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की विभीषिका में अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में डालते हुए नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन किया ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि इन कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से मांग की है कि कोरोना महामारी और अन्य आपात काल में विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके अनुभवी बेरोजगार नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए विधानसभा के वर्तमान सत्र में संकल्प पारित किया जाय कि भविष्य में किसी भी विभाग में निकलने वाली नियुक्तियों में उन्हें अधिमान देकर प्राथमिकता दी जायेगी।

ग्राम विकास अधिकारी को सता रहा है जान का खतरा

मारपीट के बाद दी गई थी जान मारने की धमकी,पुलिस ने नहीं की सुनवाई, कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने पर 6 तारीख नियत, डीवीआर गायब

स्वतंत्र चेतना

काशीपुर(उधम सिंह नगर)। विकास खंड कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में सप्ताह भरपूर ब्लॉक प्रमुख तथा उसके एक साथी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से गाली गलौज मारपीट तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सूत्रों का कहना है कि घटना के साक्ष्य मिटाने के लिए डीवीआर गायब कर दिए गए हैं।

पुलिस के अधिकारियों ने जब मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया तो पीड़ित पक्ष में कोर्ट की शरण ले ली। 156/3 के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 6 तारीख नियत की गई है। घटना के बारे में जानकारी देकर विकासखंड कार्यालय में तैनाद ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बीते 24 जनवरी को समय लगभग 4:00 बजे जब वह अपने सहकर्मी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षा में स्थानांतरण किए गए क्षेत्र की चर्चा कर रहा था इसी दौरान ब्लाक प्रमुख तथा उसके एक साथी ने वहां पहुंचकर गाली गलौज मारपीट शुरू कर दी। घटना को अंजाम देते हुए आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता का कहना है की घटना को अंजाम देते हुए आरोपी हथियारों से लैस थे। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए मारपीट गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने की उक्त घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। उसे ब्लॉक प्रमुख तथा साथी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। ग्राम विकास अधिकारी ने आरोपियों से अनहोनी की आशंका जताते हुए कार्यवाही की मांग की है।

स्टोन क्रेशर मामले में भी किया था करोड़ों का घपला, स्वार थाने में दर्ज है चोरी व धोखाधड़ी की रपट

ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार की अधिवक्ता श्रीमती सिंधु आकाश ने बताया कि आरोपी ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ पूर्व में भी चोरी तथा धोखाधड़ी का एक संगीन मामला यूपी के जनपद रामपुर के तहसील स्वार में दर्ज है। 42 कालकाजी नई दिल्ली निवासी सुशील कुमार जैन पुत्र बीके जैन ने वर्ष 2021 की 29 सितंबर को धारा 379 420 467 468 406 आईपीसी के तहत यह मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सड़क निर्माण में काम आने वाली रेता बजरी का सप्लायर है। उसने सुल्तानपुर पट्टी में एक स्टोन क्रेशर लगाया। लॉकडाउन के कारण वह स्टोन क्रेशर चल नहीं सका। इस दौरान ब्लाक प्रमुख के भाई से कुछ शर्तों पर अनुबंध हुआ। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लिखे अनुबंध को दरकिनार करते हुए ब्लॉक प्रमुख तथा उसके तीन भाइयों ने षड्यंत्र के तहत करोड़ों रूपयों की मशीनें बेचकर रकम उपरोक्त चारों डकार गए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दो पार्टी नेताओं को दी जिम्मेदारी

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करन माहरा ने गिरीश पपनै को कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश सचिव संगठन एवं कार्यालय प्रभारी (सम्बद्ध प्रदेश अध्यक्ष) एवं नवनीत सती को प्रदेश सचिव संगठन (सम्बद्ध प्रदेश अध्यक्ष) नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने गिरीश पपनै और नवनीत सती से उम्मीद करते हुए कहा कि वह अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करेंगें। दोनो नेताओ को जिमेदारी मिलने पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन मथुरादुत्त जोशी, महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, महेंद्र नेगी गुरु मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी, प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी, महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल, मानवेन्द्र सिंह, गोदावरी थापली प्रसन्नता व्यक्ति की है और दोनों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है ।

सूचना

दैनिक स्वतंत्र चेतना हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्राप्त करने के लिए अथवा विज्ञापन या समाचार प्रकाशित कराने के लिए संपर्क करें।

सम्पर्क करें
स्वतंत्र चेतना
डी-21 ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार
मो० 8924876203

आवश्यकता है

उत्तराखण्ड के दैनिक स्वतंत्र चेतना समाचार पत्र के लिए विभिन्न जिलों कुमाऊ, चमोली, नई टिहरी, रानीखेत, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, गोपेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत आदि जिलों के लिए अवैतनिक संवाददाओं की आवश्यकता है ।

सम्पर्क करें
स्वतंत्र चेतना
डी-21 ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार
मो० 8924876203

दोषसिद्ध नाइजीरियन को न्यायालय ने किया दंडित

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। साइबर क्राइम पुलिस के 2021 के एक अभियोग में दोषसिद्ध नाइजीरियन को न्यायालय ने दंडित किया है। शनिवार को एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि 50 दिन में उत्तराखंड में पंजीकृत तीन अभियोगों में चार अभियुक्त दोषसिद्ध पाए गए हैं, जिन्हें न्यायालय ने दंडित किया है। साइबर थाने की कोर्ट पैरवी में नियुक्त महिला मुख्य आरक्षी निर्मला चौहान का इसमें विशेष योगदान है। 2021 में मसूरी निवासी एक व्यक्ति को अभियुक्तों ने आनलाइन ट्रेडिंग कंपनी फोरेक्सटाइम डॉट काम की फर्जी साइट एफेएक्स मार्ट केट डॉट काम बनाकर धनराशि इनवेस्ट करने व उन्हें दोगुना करने का लालच देकर 60 लाख रुपये की आनलाइन ट्रेडिंग करा दी और धनराशि का विट क्वाइन में लगाकर धोखाधड़ी कर विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त कर एटीएम के माध्यम से आहरित कर लिया। इस शिकायत पर पुलिस उपाध्यक्ष अंकुश मिश्र के पर्यवेक्षण में पंकज पोखरियाल ने विवेचक के रूप में काम किया । यह धनराशि दिल्ली के जिन एटीएम मशीनों से निकाली गई। उनमें एक नाइजीरियन धनराशि निकालता पाया गया। तलाश पर मुख्य सरगना अर्नेस्ट माइकल ओहनान पुत्र को गिरफ्तार किया गया जिस पर मुकदमा चल रहा था। उसे न्यायालय द्वारा सजा दी गई और जितना समय उसने जेल में बिताया था उसे ही सजा की अवधि मानकर भारत से उसका निर्वासन का आदेश दिया गया है।

न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नई न्यायाधीश नियुक्त

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नयी मुख्य

न्यायाधीश होंगी। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्त-राखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की जारी अधिसूचना में कहा गया है, ह्यसंविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कुमारी न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। उनका कार्यालय उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने नवंबर 2023 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सेवानिवृत्ति होने पर पद रिक्ति को भरने के लिए केंद्र को अपनी सिफारिश भेजी थी।

रितु बाहरी के नाम है ये उपलब्धि

न्यायमूर्ति बाहरी को अगस्त 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह अपने मूल उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले 1986 में बार में नामांकन के बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अभ्यास किया।

पांच फरार वारंटियों को पुलिस ने दबोचा

लंबे समय से कर रहे थे कानून से आंख मिचोली

स्वतंत्र चेतना

काशीपुर(उधम सिंह नगर)। मारपीट अवैध कच्ची शराब तथा एन आई एक्ट के अलग-अलग मामलों में पिछले लंबे समय से फरार चल रहे तीन वारंटियों को पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार करते हुए जरूरी पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। मामले के बारे में जानकारी मिली है कि मोहल्ला विशाल नगर जसपुर खुर्द निवासी महेंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह के खिलाफ रूपयों के लेनदेन को लेकर पुलिस ने एन आई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। समय से अदालत में हाजिर न होने पर उसके खिलाफ कोर्ट द्वारा वारंट जारी किए गए इसी के बाद से वह कानून की आंख में धूल झोंककर कर फरार चल रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह अवैध कच्ची शराब के एक मामले में हरगनिया कॉलोनी टांडा उज्जैन निवासी विपिन कुमार पुत्र राधेश्याम, भीम नगर कुंडेश्वरी निवासी धर्मेंद्र पुत्र बालकृष्ण एवं भट्ठा कॉलोनी कुंडेश्वरी निवासी गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। उधर गाली गलौज मारपीट व जान से मारने के धमकी देने के एक अन्य मामले में खालिद कॉलोनी काशीपुर निवासी फिरोज हुसैन पुत्र मुस्तफा हुसैन कानून की आंख में धूल झोंक कर लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस की नजर में यह फरार वारंटी शातिर किस्म का अपराधी है। पकड़े गए उपरोक्त सभी पांचो फरार वारंटियों से पुलिस ने जरूरी जानकारी जुटाने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

GRIHUM HOUSING FINANCE
Apna Ghar. Apni Pehchan.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालय: 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर। नहीं। 79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे 411036
ब्रांच ऑफ यूनिट: दूसरी मंजिल, एसजीएडी कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, उत्तराखंड -263153।

ई-नीलामी बिक्री सूचना

सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (ह्लअधिनियमह्व) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, नियम 8 के साथ पढ़ें और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के 9। इसके द्वारा सामान्यतः उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को प्रचारित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां ग्रिहम हाउसिंग के पास गिरवी रखी गई हैं। फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम 17 नवंबर से बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया है। 2023 (पहले मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित) (इसके बाद इसे के रूप में जाना जाता है) अधिनियम के अनुसार ह्लसुरक्षित ऋणदाताह्व), जिसका कब्जा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ें। सुरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से 05/03/2024 के आधार पर 'असीसव्हेयरिस', 'असीसव्हाटिस', और 'जो कुछ भी है' पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम जा रहे हैं वेबसाइट:https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक संचालन करें। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक और उत्कृष्ट राशि (बी)	इसकी प्रकृति स्थिति-एसएसआईओएन (सी)	विवरण संपत्ति का(डी)	सरक्षित कीमत (इ)	ईएमडी (10% आरपी के) (एफ)	ईएमडी सब्मी-सत्र दिनांक (जी)	वृद्धि-एनटीएएल बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय (क)	दिनांक और का समय नीलामी (जे)	ज्ञात अतिक्रमण-प्रतिबंध/अदालत \मामले यदि कोई हों (के)
ऋण सं. एचएफ/0557/एच/21/100037 प्रभाकर गुप्ता (उधार लेने वाला), गीता देवी (सीओ उधारकर्ता)	सूचना दिनांक: 07/10/2023 रु. 838907.95/- (रु आठ लाख अड़तीस हजार नौ सौ सात पैसे पंचानबे केवल) पर देय 07/10/2023 साथ में ब्याज @ 15.5 प्रति वर्ष तक अहसास.	भौतिक	वह सब टुकड़ा और गाटा संख्या 96 का पार्सल विल-नागलिया कजान, टी ई एच एस आई एल - बी आई एल ए एस पी यू आर रामपुर उप प्रशासन 999.6.वर्ग फीट. इसका शहर-रामपुर बी एल ए स्पर उतार प्रदेश -244921.	रु.15,25,782/- (रुपये पन्द्रह लाख पच्चीस हजार सात सौ बयासी केवल)	रु. 1,52,578.2/- (एक रुपया लाख बावन हजार पांच सौ अठहत्तर और बीस केवल पैसे)	04-03-2024 पहले शाम 5 बजे	10,000/-	27-02-2024 (सुबह 11 बजे) शाम 4 बजे)	05-03-2024 (सुबह 11 बजे) दोपहर 2 बजे)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, बाधाएं और किसी तीसरे का पता लगाएं- बोली प्रस्तुत करने से पहले पार्टी के हितों और उसके सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, इससे जुड़ा हुआ है। सफल बोलीदाता द्वारा संपत्ति का पता लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो नीलामी सेवा प्रदाता से ई-बोली के लिए अनिवार्य है) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. पता- प्लॉट नंबर-68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी Support@bankeauction.com। संपर्क व्यक्ति विनोद चौहान, ईमेल आईडी- delhi@cIindia.com संपर्क नंबर- 9813887931। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे ही ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता है 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करना आवश्यक है। खाता नंबर- 000651000460 और आईएफएससी कोड- आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड-कोलकाता-700001, किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 04/03/2024 को या उससे पहले आहरित करें और अपना नाम पंजीकृत करें। https://https://www.bankeauctions.com और यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई-मेल करना होगा और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजनी होगी- दूसरी मंजिल, एसजीएडी कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, उत्तराखंड-263153.मोबाइल नं. +91 8588802671 और +91 9567626050 ई-मेल आईडी rahul.rI@grihumhousing.com ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com&www.grihumhousing.com पर जाएं।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को 30 दिन का नोटिस माना जाना चाहिए।

स्थानः रामपुर बिलासपुर
दिनांकः 04.02.2024

प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)